तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 85/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/181) बअनवान जगमालराम व अन्य बनाम धुड़ाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

जगमालराम व अन्य

बनाम

धुड़ाराम इत्यादि

उपस्थित

1. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रुघाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो

आदेश

दिनांक 13 फरवरी 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 54/2021 अनवान धुड़ाराम व अन्य बनाम जगमालराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 जून 2021 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 15 जून 2021 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्य ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 703 के रेकर्डेड सहखातेदार है। पक्षकार मौके पर अपने-अपने हक-हिस्से अनुसार काबिज काश्त है तथा अलग-अलग तारबंदी की हुई है। अपीलार्थी संख्या एक से तीन ने अपीलार्थी संख्या चार से कृषि कनेक्शन हेतु फाईल क्रय की है तथा डिमाण्ड राशि भी विद्युत विभाग में जमा करवायी जा चुकी है। रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट के उक्त विद्युत कनेक्शन को रुकवाने के उद्धेश्य से वाद एंव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 85/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/181) बअनवान जगमालराम व अन्य बनाम धुड़ाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया है। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष सयुंक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है जो का कानूनन अविभाजित भूमि के संबंध में चलने काबिज नहीं है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में हैं। इस कारण अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 जून 2021 को निरस्त किया जावे एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है तथा अपीलांट संख्या चार वादग्रस्त आराजी में स्ट्रेंजर प्रचेजर है। वह बिना विभाजन करवाये विशेष भू-भाग पर कब्जा नहीं कर सकता है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा निष्पादित बेचाननामा में कही पर भी ट्यूबवेल का अंकन नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किये बिना हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है जो कानूनन पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 85/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/181) बअनवान जगमालराम व अन्य बनाम धुड़ाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी की भूमि दर्ज है। अपीलांट्स द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर ट्यबवेल खुदवा कर कृषि कनेक्शन हेतु डिमाण्ड राशि 49300/- रूपये जमा करवाये जा चुके है। अदालत हाजा द्वारा दिनांक 16 जून 2021 के अस्थाई व्यादेश के जरिये अपीलांट्स को वादग्रस्त आराजी में अपने हक-हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि में कृषि विद्युत कनेक्शन की छूट प्रदान की जाकर वांछित अनुतोष त्वरित रूप से प्रदान किया जा चुका है। लिहाजा अपीलांट के पक्ष में जारी छूट को निरंतर रखते हुए मामला विचारण न्यायालय को अंतिम निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलांट को वादग्रस्त आराजी में अपने हक-हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि में कृषि विद्युत कनेक्शन की छूट को जारी रखते हुए मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर